

e-Challan

Registration and Stamps department Government of Rajasthan

GRN: 0072103673



Payment Date: 15/02/2023 13:26:24

Office Name: SUB REGISTRAR-II REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 15/02/2023-To-28/02/2023

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	200.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 200.00

Two Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: MITRA SHARMA, ADVOCATE

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode): JAIPUR(302006)

Address:JAIPUR

Remarks:KHASRA NO. 269, 270, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 514, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 513, 517, 518, 519, 490, 490/1336, 512 VILLAGE BHAMBH

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: PNB GateWay(Credit/Debit Cards)

Bank CIN No: PNBG7210367315022023

Date: 15/02/2023 13:26:24

Refrence No: 16801511153

Computer generated copy on : 15/02/2023

Courtsy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

Mitra Sharma

Advocate

Rajasthan High Court

Off.C-95 R.P.A. Road, Nehru Nagar, PaniPech,

Jaipur-302016

Mob.9829316264

Email : mitrasharma2007@yahoo.com

Date: 11.02.2023

TITLE SEARCH REPORT

RESIDENTIAL GROUP HOUSING SCHEME "THE SEZASTHAN" of M/s KEDIA REAL ESTTE LLP, REGISTERED OFFICE AT CHAR JILEDAR HOUSE, KACCHA BABDHA, AMER ROAD, JAIPUR, SITUATED AT KHASRA NO. 269, 270, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 490, 490/1336 VILLAGE BHAMBHORIYA, TEHSIL JAIPUR, DISTRICT JAIPUR, RAJASTHAN, AREA 109189.82 SQ. MTR.

Land of khasra no. 269, 270, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 490, 490/1336 village Bhambhoriya, Tehsil Sanganer, District Jaipur, Rajasthan was agriculture land and recorded in revenue records in the names of M/s Satisfaction Homes LLP Registered office Char Jiledar House, Kaccha Bandha, Amer Road, Jaipur through Power of Attorney Holder Mr. Nitin Kedia son of Shri Shiv Kumar Kedia, by caste Mahajan, resident of 32, Kedia House, Nadi Ka Phatak, Benad Road, Murlipura, Jaipur as Partner Kedia Real Estate LLP, registered office at Shop No 10-11, Ganesh Nagar, Nadi Ka Phatak, Benad Road, Murlipura, Jaipur AND M/s Satisfaction Homes Pvt. Ltd. through Director Mr. Manoj Kumar son of Shri Navratan Lal Agarwal, resident of S-13, Mahaveer Marg, C Scheme, Jaipur. Whereas M/s Satisfaction Homes LLP and M/s Satisfaction Homes Pvt. Ltd. are same legal entities, earlier M/s Satisfaction Homes LLP's name was M/s Satisfaction Homes Pvt. Ltd. which has been changed from a private limited company to a LLP, thus M/s Satisfaction Homes Pvt. Ltd. has been converted in M/s Satisfaction Homes LLP. Ministry of Corporate Affairs, Government of India has issued Certificate of Registration on Conversion of M/s Satisfaction Homes Pvt. Ltd. to M/s Satisfaction Homes LLP on 19.01.2015.

Said Land has been surrendered to Jaipur Development Authority under provisions of section 90-A of Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and after all due process, permission for conversion of agriculture land for non agriculture land use/ for residential purposes was granted vide (two orders) order Sr. No. LU2012/JDA/2022-23/102024 dated 13/09/2022, passed by Deputy Commissioner Zone- 11, Jaipur Development Authority and Sr. No. JDA/DC/Zone-11/2018/D-2314, dated 03/07/2018 passed by Deputy

Commissioner Zone- 11, Jaipur Development Authority. Whereas out of total 124600.00 sq. mtr. Land, 404.71 sq. mtr. of land was surrendered to JDA for proposed ZDP 60 mtr. wide road, 9509.00 sq. mtr. of land was surrendered to JDA for proposed ZDP 30 mtr. wide road and 65.23 sq. mtr. of land was surrendered to JDA for proposed ZDP 12 mtr. wide road after surrendering land for roads, area of remaining land was 114621.06 sq. mtr., out of which 5 % land (5731.24 sq. mtr.) left for facility development. After passing of above 90 A orders Said Land has been recorded in the name of Jaipur Development Authority Jaipur.

Later on M/s Satisfaction Homes LLP, Registered office Char Jiledar House, Kaccha Bandha, Amer Road, Jaipur through partner Mr. Manoj Kumar Agarwal son of Shri Navratan Agarwal has submitted an application under provision of Policy of Residential Group Housing and other schemes in Private Sectors-2010 (Up to 10 Hectares) to Deputy Commissioner Zone 11, Jaipur Development Authority, Jaipur along with consent letter for issuance of Patta of land comprised in KHASRA NO. 269, 270, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 490, 490/1336 village Bhambhoriya, Tehsil Sanganer, District Jaipur, Rajasthan area 124600 sq. mtr for issuing of Single Patta. Their consent letter was based on the point no 2.2 of the above policy, as per clause no 12.1, applicant can give his consent to issue Lease Deed (Patta) in favour of any of his nominee, whose name has been nominated by him. Here M/s Satisfaction Homes LLP, Registered office Char Jiledar House, Kaccha Bandha, Amer Road, Jaipur through partner Mr. Manoj Kumar Agarwal son of Shri Navratan Agarwal has nominated name of M/s Kedia Real Estate LLP through partner Nirmal Kumar Kedia son of Shri Shiv Kumar Kedia, resident of 32 Kedia House Nadi Ka Phatak Benad Road, Murlipura, Jaipur. Whereas land of Khasra No. 512 belongs to Jaipur Development Authority, which was allotted to M/s Satisfaction Homess Pvt. Ltd. and reference of this allotment has been mentioned in site plan of Lease Deed dated 04.01.23.

Jaipur Development Authority Jaipur issued Free Hold Lease Deed (Ekal Patta for Group Housing) Sr. No. DC 11/D.73 dated 04.01.2023 in favour of M/s Kedia Real Estate LLP through partner Mr. Nirmal Kumar Kedia son of Shri Shiv Kumar Kedia resident of 32 Kedia House, Nadi Ka Phatak Benad Road, Murlipura Jaipur, admeasuring 109189.82 sq. mtr. (Said Patta).

Said Patta has been registered in the office of Sub Registrar Jaipur 2 on 05.01.2023 at book no. 1, volume no. 1471, page no. 190, sr. no. 202303016100241 and copy of same has been affixed at additional book no. 1, volume no. 5872, page no. 588-597.

M/s Kedia Real Estate LLP applied to Jaipur Development Authority for approval of building plans of their Group Housing scheme named Kedia's "THE SEZASTHAN" over

above mentioned land of khasra no. 269, 270, 493 to 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 490, 490/1336 village Bhambhoriya, Tehsil Sanganer, Jaipur admeasuring 109189.82 sq. mtr. After all due process of approval of building plans, Building Plan Committee (BP), Jaipur Development Authority has passed the Building Plans of Scheme "THE SEZASTHAN" in its 268th meeting held on 20.01.2023.

In compliance of BPC (BP) 268th meeting held on 20.01.2023 and after deposition of required fees and due procedure, Building Plans of Scheme "THE SEZASTHAN", has been released by Building Plan Committee (BP), Jaipur Development Authority, Jaipur vide its letter serial no. JDA/ACTP/BPC(BP)/2023/D-275, dated 10.02.2023.

I undersigned came to the conclusion that land of Group Housing Scheme "THE SEZASTHAN" situated khasra no. 269, 270, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 490, 490/1336 village Bhambhoriya, Tehsil Sanganer, Jaipur, area 109189.82 sq. mtr. belongs to M/s Kedia Real Estate LLP through partner Nirmal Kumar Kedia son of Shri Shiv Kumar Kedia, resident of 32 Kedia House Nadi Ka Phatak Benad Road, Murlipura, Jaipur, C/o Shop No. 9-10, Ganesh Nagar-VI, Nadi Ka Phatak, Murlipura, Jaipur subject to terms and conditions of 90A order, mentioned above and .

Conclusion

I have examined all the above documents and aspects and come to the conclusion that M/s Kedia Real Estate LLP through partner Nirmal Kumar Kedia son of Shri Shiv Kumar Kedia, resident of 32 Kedia House Nadi Ka Phatak Benad Road, Murlipura, Jaipur C/o Shop No. 9-10, Ganesh Nagar-VI, Nadi Ka Phatak, Murlipura, Jaipur has a clear and marketable title over proposed Units (of Type 3K1, 4K1, 4K2, WALK UP APARTMENT, CLUB BLOCK and Commercial Block) of Group Housing Residential scheme "THE SEZASTHAN" situated at khasra no. 269, 270, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 490, 490/1336 village Bhambhoriya, Tehsil Sanganer, Jaipur, area 109189.82 sq. mtr. The chain of the Title of scheme "THE SEZASTHAN", is complete.

I certify that that M/s Kedia Real Estate LLP through partner Nirmal Kumar Kedia son of Shri Shiv Kumar Kedia, resident of 32 Kedia House Nadi Ka Phatak Benad Road, Murlipura, Jaipur C/o Shop No. 9-10, Ganesh Nagar-VI, Nadi Ka Phatak, Murlipura, Jaipur has/have an absolute, clear and Marketable title of scheme "THE SEZASTHAN".

Jaipur

Date : 11.02.2023


(Mitra Sharma Advocate)
(Enr. No. R/2078/2002)

MITRA SHARMA
(Advocate)
C-95, R. P. A. Road
Nehru Nagar, Pani Pech,
JAIPUR-302016

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-II

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 05-01-2023 1:49 PM

Fee Receipt No	: 202302016000303	Receipt Date	: 05/01/2023
Name	: NIRMAL KUMAR KEDIA AS PARTNER OF MS KEDIA REAL ESTATE LLP,	Document S. No.	: 202301016000235
Address	: 32, KEDIA HOUSE NADI KA PHATAK, JAIPUR,		
Document Type	: New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change		
Face Value	: ₹ 43555928	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 435560	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 784008	Stamp Duty	: ₹ 2613360
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 3833228
		Total Amount	: ₹ 3833228

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp 882688 ₹ 19500 # Stamp 882689 ₹ 19500 # eStamp IN-RJ79756781647244V ₹ 3332368 # e-Gras Challan 70566976 ₹ 435860 # Stamp 947451 ₹ 26000

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0070566976



Payment Date: 05/01/2023 13:18:07

Office Name: SUB REGISTRAR-II REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2022-To-31/03/2023

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रतियां	300.00
2	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	435560.00
Commision(-):		0.00
Total/NetAmount:		435860.00

Four Lakh Thirty Five Thousand Eight Hundred Sixty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: KEDIA REAL ESTATE LLP	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid PATTa
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): JAIPUR(000000)
Address:KH NO 269 270 493 TO 507 509 510 511 514 515 520 521 522 523 ETC. VILL BHAMBHORIA SANGANER JAIPUR	Remarks:JDA PATTa IN FAVOUR OF KEDIA REAL ESTATE LLP

Payment Details:

Bank: SBlePAY(Credit/Debit Cards)	Challan No. - 0
Date: 05/01/2023 13:18:07	Bank CIN No: SBIN7056697605012023
	Refrence No: 3822762258618

Computer generated copy on : 05/01/2023

Courtesy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

Kedia



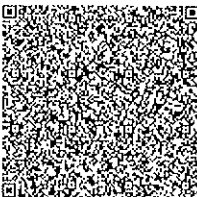
INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No. : IN-RJ79756781647244V
Certificate Issued Date : 05-Jan-2023 01:42 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ rj3244504/ SHASTRI NAGAR/ RJ-JP
Unique Doc. Reference : SUBIN-RJRJ324450449027387624269V
Purchased by : KEDIA REAL ESTATE LLP
Description of Document : Article 33 New Lease deed issued after change of land use : New Lease Deed issued by ULB after change of land use
Property Description : KH NO 269 270 493 TO 507 509 510 511 514 515 520 521 522 523 ETC. VILL BHAMBHORIA SANGANER JAIPUR
Consideration Price (Rs.) : 4,35,55,928
(Four Crore Thirty Five Lakh Fifty Five Thousand Nine Hundred And Twenty Eight only)
First Party : JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR
Second Party : KEDIA REAL ESTATE LLP
Stamp Duty Paid By : KEDIA REAL ESTATE LLP
Stamp Duty Payable (Rs.) : 25,63,360
(Twenty Five Lakh Sixty Three Thousand Three Hundred And Sixty only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.) : 2,56,336
(Two Lakh Fifty Six Thousand Three Hundred And Thirty Six only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.) : 2,56,336
(Two Lakh Fifty Six Thousand Three Hundred And Thirty Six only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.) : 2,56,336
(Two Lakh Fifty Six Thousand Three Hundred And Thirty Six only)
Stamp Duty Amount(Rs.) : 33,32,368
(Thirty Three Lakh Thirty Two Thousand Three Hundred And Sixty Eight only)

Kedia



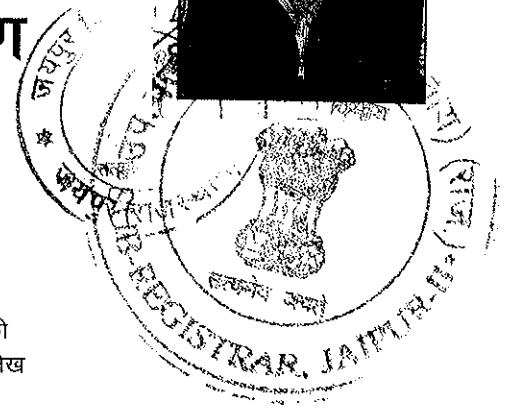
उप पञ्जीयक द्वितीय
जयपुर



JJD 0033915140

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.sholestamp.com or using e-Stamp Mobile App or Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



आवासीय

उप पजीयक द्वितीय
जयपुर



पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के हर्षित कर सकेगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा/तथा भूधारक पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के अन्तर्गत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य.....

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि 4,35,559.81/-

स्टाम्प - 26,13,360.50

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व..... पश्चिम.....

उत्तर..... दक्षिण.....

साइट प्लान संलग्न हैं।

For KEDIA REAL ESTATE LLP

पट्टा धारक की हस्ताक्षर

1. N. K. Kedia

अंगूठा निशान

2.

अंगूठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Amrit

नाम अमृत विजय

अंगूठा निशान

पता सोहरा, पट्टा

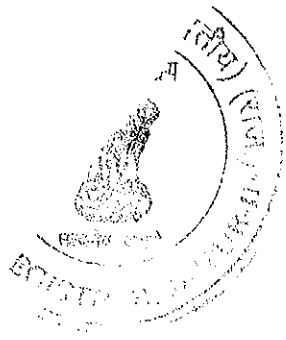
28-A, नेरुपली 2837,

उपायुक्त जोन-11

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नयपुर

करन



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NIRMAL KUMAR KEDIA AS PARTNER OF MS KEDIA REAL ESTATE LLP, पुत्र/पुत्री/पति श्री SHIV KUMAR KEDIA, व्यवसाय Businessजाति 0-MAHAJAN House No.:32, Colony: KEDIA HOUSE NADI KA PHATAK, Area: BAINAR ROAD MURLIPURA JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302039, District: , State: RAJASTHAN			Executant Age : 43 Signature

ने लेख्यपत्र New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 43555928/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 43555928/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

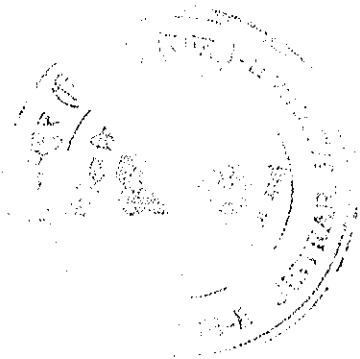
उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MUKESH KUMAR SHARMA, पुत्र/पुत्री/पति श्री LATE R L SHARMA जाति JANGID Age: 40 Add: House No.:2, Colony: GUDWALO KI BAGICHI, Area: NEAR WATER TANK PANKHA JHOTWARA JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302012, District: , State: RAJASTHAN			Signature

202301016000235

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change

उप पंजीयक, JAIPUR
उप पंजीयक द्वितीय
जायपुर



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 43555928 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 2613360 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 435560, सरचार्ज राशि 784008 कुल रु 3832928 रसीद संख्या 202302016000303 दिनांक 05-01-2023 में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रु 2613360 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202301016000235

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change


उप पंजीयक, JAIPUR-IL
उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

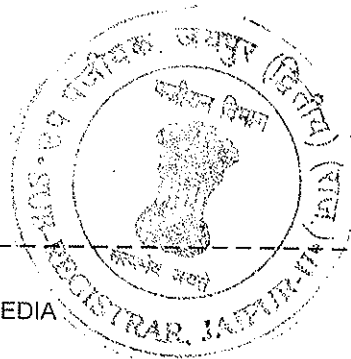
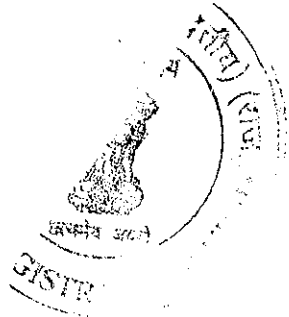
Registration Endorsement

आज दिनांक 05/01/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1471 में
पृष्ठ संख्या 190 क्रम संख्या 202303016100241 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5872 के
पृष्ठ संख्या 588 से 597 पर चस्पा किया गया।

202301016000235

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change


उप पंजीयक, JAIPUR-IL
उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर



Presentation Endorsement

आज दिनांक 05 माह 01 सन् 2023 को 01:41 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री NIRMAL KUMAR KEDIA AS PARTNER OF MS KEDIA
REAL ESTATE LLP पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHIV KUMAR KEDIA
उम्र 43 वर्ष, जाति 0-MAHAJAN , व्यवसाय Business
निवासी House No.:32, Colony: KEDIA HOUSE NADI KA PHATAK ,
Area: BAINAR ROAD MURLIPURA JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code:
302039, District:, State: RAJASTHAN
ने मेरे सामने हस्ताक्षर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202301016000235

हस्ताक्षर पंजीयक द्वितीय
JAIPUR

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302016000303
दिनांक	05-01-2023
पंजीयन शुल्क ₹	435560
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	2613360
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	784008
कुल योग	3833228

202301016000235

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change

हस्ताक्षर पंजीयक द्वितीय
JAIPUR

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp 882689 ₹ 19500 # e-Gras
Challan 70566976 ₹ 435860 # Stamp
947451 ₹ 26000 # eStamp IN-
RJ79756781647244V ₹ 3332368 #
Stamp 882688 ₹ 19500



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

882689

24 NOV 2022

7

नै न ज्यू डिशियल

ग्राम भम्भौरिया तहसील सांगानेर में स्थित ख.नं. 269, 270, 493, 494, 495 496,
497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 514, 515,
516, 520, 521, 522, 523, 513, 517, 518, 519, 490, 490/1336, 512 कुल किता 34
क्षेत्रफल 109189.82 वर्गमीटर का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) के एकल पट्टा प्रयोजनार्थ
लीजडीड हेतु 50000+50/-रुपये के स्टाम्प संलग्न है।

उपस्थित जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

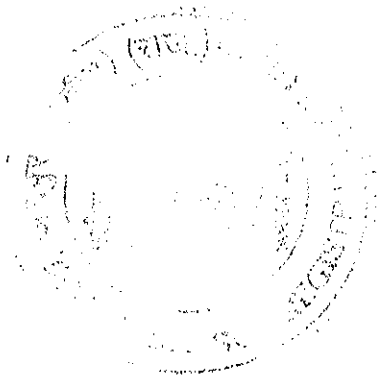
नय परीयक द्वितीय
जयपुर

26 DEC 2022

क्र.स. 10883 दिनांक _____
मुद्रांक का मूल्य 500.00
क्रेता का नाम श्री/श्रीमती : को.सा. नि.म.र. 22-एल.एल.पी.
पिता/पति का नाम : ज. वि. आ. पोस्टर जयपुर नि.म.र. 22-एल.एल.पी.
निवास स्थान : _____
बास्ते : _____

धर्मपाल सिंह चौधरी
श्री स्टाम्प (वि.सं.) को.नं. 44/02
ज. वि. आ. पोस्टर जयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत	
स्टाम्प राशि पर अन्तर्गत	
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क)-10% राशि	500.00
2. गांव और उससे नजद के संरक्षण और सुधार हेतु (धारा 3-ख)-20% राशि	100.00
कुल राशि	1500.00
ज. वि. आ. पोस्टर जयपुर	



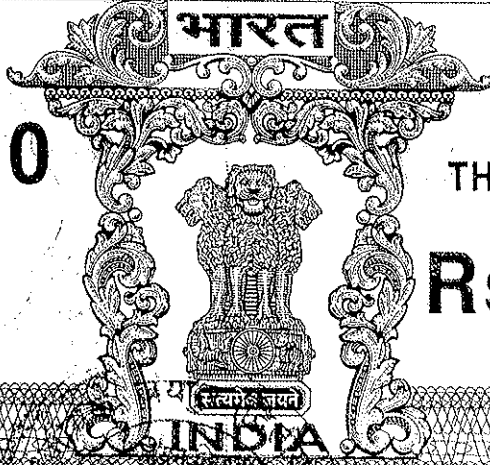
भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

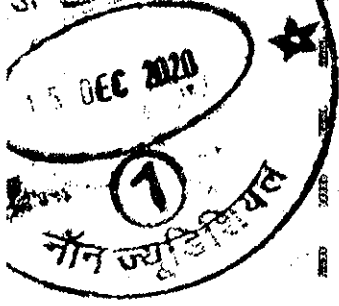
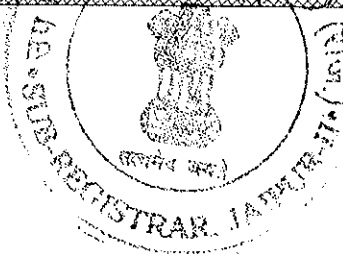
TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000



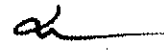
राजस्थान RAJASTHAN

947451



ग्राम भम्भौरिया तहसील सांगानेर में स्थित ख.नं. 269, 270, 493, 494, 495 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 514, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 513, 517, 518, 519, 490, 490/1336, 512 कुल किता 34 क्षेत्रफल 109189.82 वर्गमीटर का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) के एकल पट्टा प्रयोजनार्थ लीजडीड हेतु 50000+50/-रुपये के स्टाम्प संलग्न है।


उपस्थित जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।


उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

12 6 DEC 2022

क्र.स. 10283

मुद्रांक का मूल्य

50000

लेना का नाम

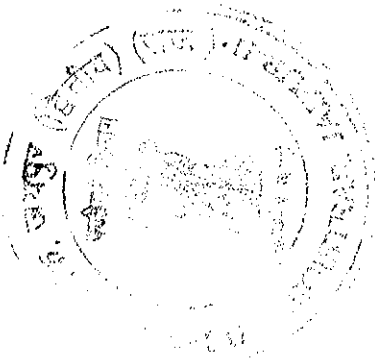
पिता/पति का नाम

निवास स्थान

वास्ते

धर्मपाल सिंह
श्री स्टाम्प डिप्लोमा ऑ. नं. 44/02
ज. वि. पा. परिसर जयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत	
स्टाम्प का नं. 10283	
1. आधारभूत अवधारणा (धारा 3-क)-10% रूपये	50000
2. गाय और उसली नाल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ए)-20% रूपये	10000
कुल राशि	150000
हस्ताक्षर स्टाम्प डिपेंडर	



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs.
15000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

882688

24 NOV 2022

7

जयपुर डिप्टी



ग्राम भम्मौरिया तहसील सांगानेर में स्थित ख.नं. 269, 270, 493, 494, 495 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 514, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 513, 517, 518, 519, 490, 490/1336, 512 कुल किता 34 क्षेत्रफल 109189.82 वर्गमीटर का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) के एकल पट्टा प्रयोजनार्थ लीजडीड हेतु 50000+50/-रुपये के स्टाम्प संलग्न है।

उपस्थित जोन=11.1
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

नप पजीयक द्वितीय
जयपुर

26 DEC 2022

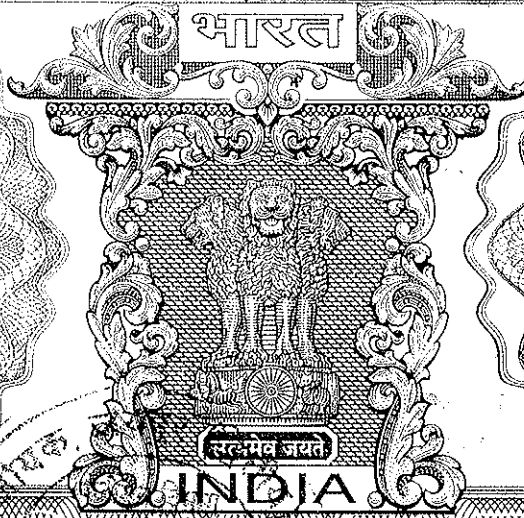
क्र.स. 10893
मुद्रांक का मूल्य 50000
क्रेता का नाम श्री/श्रीमती. लक्ष्मी देवी प्रसाद 22 एल एल पी.
पिता/पति का नाम ज. वि. पा. फारेसर जयपुर
निवास स्थान जयपुर
वास्ते Shop No 10-11-12 जयपुर नगर 26A जयपुर जयपुर जयपुर

धर्मपाल सिंह चौधरी
श्री स्टाम्प विक्रेता सं. 44/02
ज. वि. पा. फारेसर जयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत	
स्टाम्प संहिता पर अधिनियम 1958	
1. आधारभूत अथवा उत्पत्ति शुल्क (भाग 3-क)-10% रु. 50000	
2. गाय और उसकी माँ के संरक्षण और संवर्धन (भाग 3-ख)-20% रु. 10000	
कुल राशि	15000
रु. 15000	

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

BF 476167

राजस्थान RAJASTHAN

27 JAN 2022



ग्राम भम्भौरिया तहसील सांगानेर में स्थित ख.नं. 269, 270, 493, 494, 495 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 514, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 513, 517, 518, 519, 490, 490/1336, 512 कुल किता 34 क्षेत्रफल 109189.82 वर्गमीटर का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) के एकल पट्टा प्रयोजनार्थ लीजडीड हेतु 50000+50/-रुपये के स्टाम्प संलग्न है।

उपस्थित जोन-11.1
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

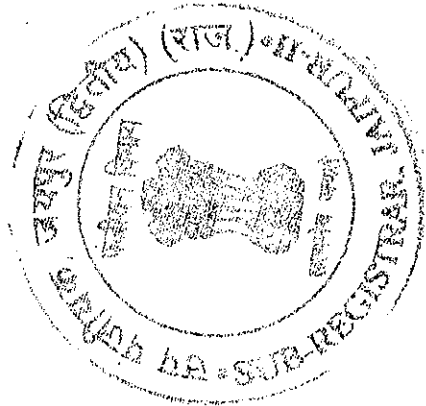
अ
उप पजीयक द्वितीय
जयपुर

26 DEC 2022

क्र.स. 10894 दिनांक 26/12/2022
मुद्रांक का मूल्य 50/-
क्रेता का नाम श्री/श्रीमती दे. लक्ष्मी प्रियंका 222 एल.एल.पी.
पिता/पति का नाम जयदेव पांडे 254 एल.एल.पी.
निवास स्थान जयपुर
वास्ते 2 Shop No. 10/11-2 नगर हा नवी का माला मयूर

धर्मपाल सिंह चौधरी
श्री स्टाम्प विक्रेता लॉ. नं. 44/02
ज. वि. पा. परिसर जयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत	
स्टाम्प राशि पर प्रयोज्य	
1. आधारभूत अवसरचना शुल्क	(धारा 3-क)-10% राशि 5
2. गाय और उसकी नरल के संरक्षण और संवर्धन हेतु	(धारा 3-ख)-20% राशि 10
कुल राशि 15	
हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता	



जयपुर विकास प्राधिकरण



SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT

AT REVENUE VILLAGE - BHAMBHORIYA TEH. SANGANER, JAIPUR

KHASRA NOS.- 269,270,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504, 505, 506,507, 509,510, 511,512, 514, 515, 516, 520, 521, 522, 523,517,518,519,490/1336,490,513,512,

NET GROUP HOUSING PLOT AREA - 108889.82SQ.MTR. +(300.00 SQ.MTR.JDA ALLOTTED LAND OF KHASRA NO. 512))

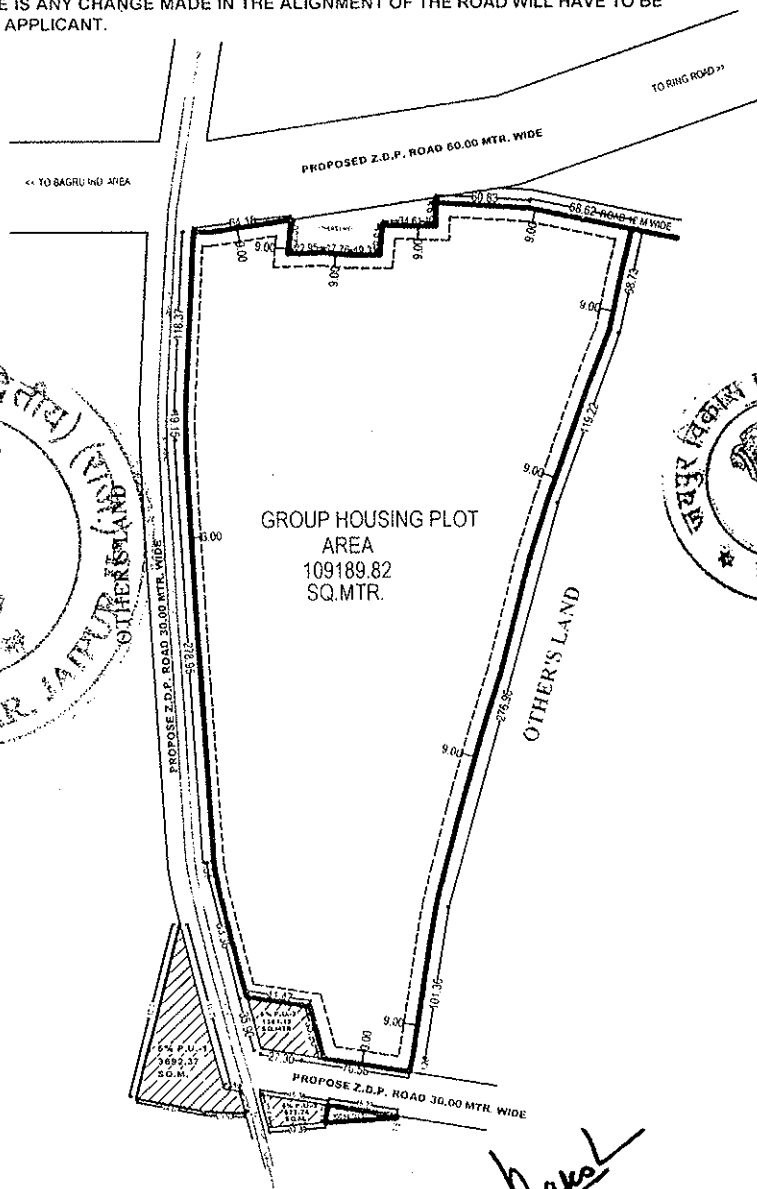
TOTAL APPLIED AREA	= 124600.00
AREA SURRENDERED FOR PROPOSE ZDP ROAD 60 MT.	= 404.71 sqmt.
AREA SURRENDERED FOR PROPOSE ZDP ROAD 30 MT.	= 9509.00 sqmt.
AREA SURRENDERED FOR PROPOSE ROAD 12 MT.	= 65.23 sqmt.
REMAINING LAND AREA ROAD	= 114621.06 sqmt.
AREA OF JDA FACILITY 5%	= 5731.24 sqmt.
BAR	= AS PER PREVAILING BUILDING BYE LAWS
HEIGHT & OTHER PARAMETERS	= AS PER PREVAILING BUILDING BYE LAWS

NOTE :-

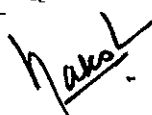
- * THIS SITE PLAN IS BASED UPON P.T. SURVEY AND KHASRA MAP PROVIDED BY TDR / AMIN
- * CONSTRUCTION OF BUILDING ALLOWED AS PER BUILDING PLAN APPROVAL
- * IN FUTURE IF THERE IS ANY CHANGE MADE IN THE ALIGNMENT OF THE ROAD WILL HAVE TO BE ACCEPTED BY THE APPLICANT.

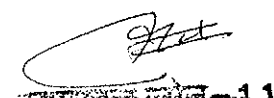


SCALE :- 1 CM = 5M.




SITE ENGINEER
ZONE-II


ATP
ZONE-II


COMMISSIONER 11
ज.वि.प्र., जयपुर

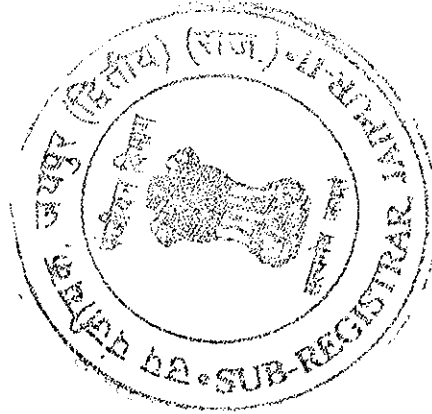
Registration Endorsement

आज दिनांक 05/01/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1471 में
पृष्ठ संख्या 190 क्रम संख्या 202303016100241 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5872 के
पृष्ठ संख्या 588 से 597 पर चस्पा किया गया।

202301016000235

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change

उप पंजीयक, JAIPUR-II
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2023/डी-275

दिनांक:- 10/02/2023

मैसर्स केडिया रियल एस्टेट एल.एल.पी.,
जरिये पार्टनर,
श्री निर्मल कुमार केडिया,
शॉप नम्बर 9-10, गणेश नगर-VI,
नाडी का फाटक, मुरलीपुरा, जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 269, 270, 493 से 507, 509, 510, 511, 514, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 513, 517, 518, 519, 490, 490/1336, 512, ग्राम भम्भोरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2023 के संदर्भ में खसरा नम्बर 269, 270, 493 से 507, 509, 510, 511, 514, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 513, 517, 518, 519, 490, 490/1336, 512, ग्राम भम्भोरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 1,09,189.82 वर्ग मी. पर Unit Type-3K1= 0.45 मी. (प्लिन्थ) + 6.40 मी. (भूतल + प्रथम तल) + 2.65 मी. (ममटी) कुल 9.52 मी., Unit Type-4K1= 0.45 मी. (प्लिन्थ) + 9.60 मी. (भूतल + 2 तल) + 0.60 मीटर (पेरापेट) कुल 10.65 मी., Unit Type-4K2= 0.45 मी. (प्लिन्थ) + 9.60 मी. (भूतल + 2 तल) + 1 मीटर (पेरापेट) कुल 11.05 मी., WALK UP APARTMENT= 1.10 मी. (प्लिन्थ) + 9.60 मी. (भूतल + 2 तल) + 3.00 मी. (ममटी) कुल 13.70 मी., CLUB BLOCK= 0.45 मी. (प्लिन्थ) + 8.00 मी. (भूतल + 1 तल) + 1.5 मीटर (पेरापेट) कुल 9.95 मी. एवं COMMERCIAL BLOCK= 0.30 मी. (प्लिन्थ) + 9.90 मी. (भूतल + 2 तल) + 7.75 मी. (ममटी/मशीन रूम) कुल 17.95 मीटर ऊँचाई के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये जिन्हें भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 268वीं बैठक दिनांक 20.01.2023 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ निर्माण स्वीकृति दी जाती है:-

1. यह भवन निर्माण अवधि दिनांक 04.01.2026 (दिनांक 04.01.2023 को जारी फ्री होल्ड लीजडीड अनुसार) तक प्रभावी हैं।
2. यह भवन अनुज्ञा, भवन मानचित्र जारी दिनांक से 7 वर्ष अर्थात् दिनांक 10.02.2030 तक प्रभावी हैं।
3. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.3.2 (ix, x) (30 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु स्ट्रक्चरल डिजाइन व भवन में अपेक्षित सेवाओं के मानचित्र की प्रति 90 दिवस में प्रस्तुत करने के संबंध में) (xi) (अग्निशमन मानदण्डों की सुनिश्चितता), 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), नियम 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयंत्र), 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नवि/3/2020 पार्ट-I दिनांक 07.09.2021 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
4. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(ix व x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएँ, वातानुकूल सेवाएँ आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाइन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
6. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
7. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
8. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।

9. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-11, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
11. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
12. विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
13. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
14. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता व अधिवास प्रमाण पत्र हेतु जविप्रा में आवेदन किया जाना आवश्यक है। अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र जविप्रा में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
15. परियोजना यदि रेरा में पंजीकृत करने योग्य हैं तो राजस्थान रियल एस्टेट (डवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट एवं रूल्स 2017 से संबंधित नियमों की पालना आपके स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
16. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तडित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
17. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
18. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
19. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
20. प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित बी.ए.आर. के एवज में विकासकर्ता द्वारा निम्न Split Location स्थान पर EWS/LIG आवास प्रस्तावित किये गये हैं:-

परियोजना में प्रस्तावित कुल आवासीय बी.ए.आर.:— 1,18,246.22 व.मी. (आवासीय आरक्षित दर 6000 /—प्रति व.मी.)			
5 प्रतिशत आवासीय बी.ए.आर. का = 5,912.31 व.मी			
क्र.सं.	Split Location	आवासों की संख्या	क्षेत्रफल
1.	खसरा नम्बर 49/1, 49/2, ग्राम मुकुन्दपुरा, भांकरोटा, अजमेर रोड़, जयपुर। (आवासीय आरक्षित दर 6,000 /— प्रति व.मी.)	25 EWS (42.51 व.मी. से 51.44 व.मी. प्रति यूनिट क्षेत्रफल)	1234.90 व.मी.
		66 LIG (72.60 व.मी. प्रति यूनिट क्षेत्रफल)	4792.05 व.मी.
	प्रस्तावित कुल EWS/LIG आवासों की संख्या व क्षेत्रफल	91 EWS/LIG	6,026.95 व.मी.

21. विकासकर्ता द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित सम्पूर्ण बी.ए.आर. की एवज में उपरोक्त Split location पर प्रस्तावित किये गये कुल 91 ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की निर्माण अवधि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुसार भवन मानचित्र जारी दिनांक से 30 माह अर्थात् दिनांक 10.08.2025 तक की अवधि में पूर्ण किया जाकर सूचना इस प्रकोष्ठ को दी जानी होगी।

22. परियोजना में आग से बचाव हेतु भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2 के अनुसार क्षरण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसको अन्य उपयोग अथवा कमरों में शामिल नहीं किया गया जावेगा।
23. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेगी।
24. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
25. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
26. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (10 मानचित्र)

भवदीय,
10/2/23
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (10 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन-11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (10 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. रजिस्ट्रार, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, 2nd & 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
4. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. उपायुक्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 60/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।